



मुख्य आयुक्त का कार्यालय

Office of the Chief Commissioner

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर, वडोदरा क्षेत्र

Central Excise, Customs & Service Tax, Vadodara Zone

द्वितीय तल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, रेसकोर्स सर्कल, वडोदरा - 390 007 (गुजरात)

2nd Floor, Central Excise Building, Race Course Circle, Vadodara - 390 007 (Gujarat)

दूरभाष सं./ Telephone No.: 0265-(Direct)2331002; Epabx-2330086, 2330061 (Ext.107,113)

फेक्स सं./ Fax No. : 0265 - 2339226; Email : dlcvccto@gmail.com

NOTICE


**Constitution of Regular Panel of Senior and Junior Standing
Counsels for handling cases of Indirect Taxes before Gujarat
High Court and other fora.**

Applications are invited from Advocates for constituting a panel of Senior Standing Counsels to handle cases of Indirect Taxes before Gujarat High Court and other fora, for a period upto 08.06.2019.

The requisite qualifications and terms and conditions of engagement and the Schedule of fees and allowances are as per letter F.No.278A/43/2007-Legal dated 5th December, 2007 of Director (Legal) (Annexure-I) and F.No.278A/50/2011-Legal dated 14.09.2012 (Annexure-II). Interested parties should submit an application in Proforma-A to the Additional Commissioner, Office of the Chief Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax, 2nd Floor, Central Excise Building Annexe, Chakli Circle, Vadodara 390 007. The last date for submission of the application is 15.07.2016 at 12.00 hours. The Annexure-I, Annexure-II and Proforma-A can be downloaded from the website ccovadodarazone.gov.in.

Joint Commissioner (CCO)

Central Excise, Customs & Service Tax
Vadodara Zone



मुख्य आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, वडोदरा क्षेत्र
CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX, VADODARA ZONE
द्वितीय तल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, रेस कोर्स सर्कल, वडोदरा - 390007 (गुजरात)
2nd Floor, Central Excise Building, Race Course Circle, Vadodara-390007 (Gujarat)
दूरभाष सं./Telephone No.: 0265-2331002, फैक्स सं./ Fax No.: 0265-2339226

सूचना

गुजरात उच्च न्यायालय तथा अन्य मंचों के समक्ष अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिए वरिष्ठ एवं कनिष्ठ स्थायी अधिवक्ताओं के नियमित पैनल का गठन

इस आयुक्तालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित मामलों को गुजरात उच्च न्यायालय तथा ऐसे अन्य न्यायिक मंचों पर निपटाने हेतु वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्ताओं का दिनांक 08.06.2016 तक की अवधि के लिए एक स्थायी पैनल बनाए जाने हेतु अधिवक्ताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

इनकी नियुक्ति हेतु अपेक्षित योग्यता एवं शर्तों तथा शुल्कों एवं भत्तों की सूची निदेशक (विधि) द्वारा जारी दि. 05.12.2007 के पत्र फा.सं. 278ए/43/2007-लीगल(अनुलग्नक-I) तथा दि. 14.09.2012 के पत्र फा.सं. 278ए/50/2011-लीगल(अनुलग्नक-II) के अनुसार है। इच्छुक पार्टियाँ प्रपत्र-क (प्रोफोर्मा-ए) में अपना आवेदन पत्र अपर आयुक्त, मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एनेक्सी बिल्डिंग, चकली सर्कल, रेसकोर्स, वडोदरा-390007 के पास जमा करा सकती हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15.07.2016 दोपहर 12 बजे तक है। अनुलग्नक - I, अनुलग्नक-II तथा प्रपत्र-ए वेबसाइट ccovadodarazone.gov.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।


05/07/16

संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का.),
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर,
वडोदरा ज़ोन